न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–379/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00377)

1. अब्दुल हमीद पुत्र अलाबक्स उम्र 60 वर्ष,
2. अब्दुल रसीद पुत्र अलाबक्स उम्र 57 वर्ष,
3. अब्दुल सत्तर पुत्र अब्दुल हफीज उम्र 55 वर्ष,
4. गुलाम मोहम्मद पुत्र अब्दुल हफीज उम्र 40 वर्ष,
5. नवाब अली पुत्र अब्दुल हफीज उम्र 38 वर्ष,
6. अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल अजीज, उम्र 45 वर्ष,
7. अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल अजीज, उम्र 35 वर्ष,
8. शरीफ मोहम्मद पुत्र अब्दुल अजीज, उम्र 35 वर्ष,
9. शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल अजीज उम्र 25 वर्ष, समस्त जातियान मुसलमान, निवासीयान खो–नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णयः

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जिला जयपुर के आदेश दिनांक 26.06.2018 (प्रकरण संख्या 21/2002) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने अपने सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश कर दिये थे जिनसे सप्ष्ट रूप से साबित था कि साबिका खसरा नम्बर 2173, 2174 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा थी और खसरा नम्बर 2179 का रकबा 4 बीघा थी, इस प्रकार कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा थी जिनके भू प्रबन्ध के के दौरान साबिक खसरा नम्बर 2173 व 2174 नये खसरा नम्बर 3566 लगायत 3570 कुल रकबा 2.08 हैक्टयर बनाये गये तथा साबिका खसरा नम्बर 2179 के नये खसरा नम्बर 3585 रकबा 0.57 हैक्टयर बनाये गये इस प्रकार उक्त पुराने खसरा नम्बरों का रकबा कम किया गया जो दस्तावेजात से साबित था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सांगानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी जिस रिपोर्ट में भी उक्त वर्णित खसरा नम्बरों के रकबे में अंतर था जिस रिपोर्ट से भी यह साबित था कि पूर्व के खसरा नम्बरों के क्षेत्रफल को नये खसरा नम्बरों में कम अंकित किया गया है, इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में

P.T.O.

किसी भी प्रकार के रकबे को कम या ज्यादा करने का अधिकार नही है इसके बावजदू भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुराने नम्बरों के रकबे में कमी कर दी गई जिससे अपीलान्ट की भूमि लगभग सवा दो बीघा कम हो गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश गलत पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर गौर नही किया, न ही दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपने आदेश में खसरा नम्बर भी गलत दर्ज किये हुऐ है तथा साबिक खसरा नम्बर 2173 के नये खसरा नम्बर 3585 अंकित कर रखे है जबकि खसरा नम्बर 2173 के नये खसरा नम्बर 3566 लगायत 3570 है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही लिखवाया गया है जो एक न्यायालय के आदेश की तारीफ में नही आता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी तथा अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करते रहे तो उन्होने यह कहा कि आपका मुकदमा विचाराधीन है और आगामी पेशिया चल रही है कुछ दिन पूर्व पता चला कि मुकदमें का फैसला कर दिया गया है तब दिनांक 27.09.2018 को नकल का आवेदन किया और नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके अपील तैयार करवाई जो अन्दर मियाद पेश की गई है तथा धारा 5 कियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 को निरस्त कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 05.06.2018 को पीठासीन अधिकारी अन्य राज कार्यो मे व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2018 नियत की गई है लेकिन अपीलार्थीगण को बिना किसी

प्रकार की सूचना दिये ही पत्रावली को दिनांक 26.06.2018 को ही राजस्व लोक अदालत न्या आपके द्वारा कैम्प में रखी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो ना तो लोक अदालत की भावना के अनुरूप है और ना ही विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः गुणावगुण पर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।